कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर

कमांकः फा. 94(25)सविरा/नियम/92 दिनांक 18.9.2014

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक
राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स
फैडरेशन लि0, (स्पिनफैड)
जयपुर

आदेश

(राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 11(4) के अन्तर्गत)

सविधान के 97वें संशोधन के कम में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 मे हुऐ संशोधनो के आलोक में राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लि0, जयपुर के उपनियमों में संशोधन हेतु अधिनियम की धारा11(1) के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किये जाकर तीन माह के अन्दर सूचित करने की अपेक्षा की गई थी। अतः उक्त निर्धारित अवधि के समाप्त होने के उपरान्त अभी तक संस्था की ओर से प्रस्तावित उपनियम संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः मैं, अनुराग भारद्वाज रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 11(4) के अन्तर्गत मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लि0, जयपुर की संलग्न उपविधियों को पंजीकृत करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18.9.2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

sd

(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपिः–

1. परियोजना निदेशक (प्रोसेसिंग) प्रधान कार्यालय, जयपुर
2. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. गार्ड पत्रावली।

रजिस्ट्रार

राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लि0, (स्पिनफैड) जयपुर के संशोधित उपनियम

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
7(1)	फैडरेशन की सामान्य सभा को जिसमें सदस्य सहकारी समितियों और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा मनोनीत व्यक्ति शामिल है, सर्वाधिकार प्राप्त होंगे। सामान्य सभा, संचालक मण्डल द्वारा जब आवश्यकता समझे बुलाई जायेगी किन्तु वर्ष में एक सामान्य बैठक आवश्यक होगी जो वार्षिक सामान्य बैठक कहलायेगी और जो फैडरेशन के वित्तीय वर्ष समाप्ति के **तीन** माह के अन्दर अवश्य बुलाई जावेगी।	फैडरेशन की सामान्य सभा को जिसमें सदस्य सहकारी समितियों और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा मनोनीत व्यक्ति शामिल है, सर्वाधिकार प्राप्त होंगे। सामान्य सभा, संचालक मण्डल द्वारा जब आवश्यकता समझे बुलाई जायेगी किन्तु वर्ष में एक सामान्य बैठक आवश्यक होगी जो वार्षिक सामान्य बैठक कहलायेगी और जो फैडरेशन के वित्तीय वर्ष समाप्ति के **छः** माह के अन्दर अवश्य बुलाई जावेगी।
7(5)3	ऑडिट रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार।	धारा 54 के अनुसार अंकेक्षक की नियुक्ति एवं ऑडिट रिपोर्ट अनुपालना तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार।
8(1)	**संचालक मण्डल :** 8(1) संचालक मण्डल में निम्नानुसार कुल 11 निर्वाचित संचालको सहित कुल 15 सदस्य रहेंगे। 8(1)1 सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से निर्वाचित **7 (सात)** संचालक, जिसमें से दो संचालक श्रीगंगानगर जिले से, दो संचालक भीलवाडा जिले से, दो संचालक हनुमानगढ़ जिले से एवं **एक** संचालक अन्य जिलों की समितियों से होंगे। **उक्त संचालको में से गंगानगर जिले से एक संचालक अनुसूचित जाति, भीलवाडा जिले से एक संचालक अनुसूचित जनजाति एवं हनुमानगढ जिले से एक संचालक महिला वर्ग से होगा** 8. (1) 2 सदस्य क्रय–विक्रय सहकारी समितियों में से 3 (तीन) निर्वाचित संचालक। उक्त **तीन में से एक संचालक अन्य पिछडे वर्ग से होगा।** 8(1)3 सदस्य शीर्ष एवं अन्य संस्थाओं से निर्वाचित 1 (एक) संचालक। 8(1)4 सचिव, सहकारिता विभाग या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, जो उपसचिव से कम स्तर का नही होगा। 8(1)5 सचिव, वित्त विभाग या उनके द्वारा	**संचालक मण्डल :** 8(1) संचालक मण्डल में निम्नानुसार 12 निर्वाचित संचालको सहित कुल **16** सदस्य रहेंगे। 8(1)1 सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से निर्वाचित **8 (आठ)** संचालक, जिसमें से दो संचालक श्रीगंगानगर जिले से, दो संचालक भीलवाडा जिले से, दो संचालक हनुमानगढ़ जिले से एवं **दो** संचालक अन्य जिलों की समितियों से होंगे। 8(1)2 सदस्य क्रय–विक्रय सहकारी समितियों में से 3 (तीन) निर्वाचित संचालक। 8(1)3 सदस्य शीर्ष एवं अन्य संस्थाओं से निर्वाचित 1 (एक) संचालक। 8(1)4 सचिव, सहकारिता विभाग या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, जो उपसचिव से कम स्तर का नही होगा। 8(1)5 सचिव, वित्त विभाग या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, जो उपसचिव से कम स्तर का नही होगा। 8(1)6 पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि। उपरोक्त के अतिरिक्त संचालक मण्डल दो प्रबन्धन या तकनीकी (कपास) विशेषज्ञो को मनोनीत कर सकेगा, जो संचालक मण्डल की

	मनोनीत प्रतिनिधि, जो उपसचिव से कम स्तर का नही होगा। 8(1)6 पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि। उपरोक्त के अतिरिक्त संचालक मण्डल दो प्रबन्धन या तकनीकी (कपास) विशेषज्ञो को मनोनीत कर सकेगा, जो संचालक मण्डल की बैठको में भाग ले सकेंगे, किन्तु उन्हें मताधिकार प्राप्त नही होगा। 8(1)7 फैडरेशन का प्रबन्ध संचालक पदेन सदस्य सचिव होगा।	बैठको में भाग ले सकेंगे, किन्तु उन्हें मताधिकार प्राप्त नही होगा। 8(1)7 फैडरेशन का प्रबन्ध संचालक पदेन सदस्य सचिव होगा।
8(3)(1)	कोई प्रावधान नहीं।	संचालक मण्डल के सदस्य की अन्तरिम रिक्ति अथवा रिक्तियों की पूर्ति राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार की जावेगी।
8(9)18	अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा उसके पालन–प्रतिवेदन को सामान्य सभा के समक्ष रखे जाने हेतु अनुमोदित करना।	फैडरेशन के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विचार करना, पूर्ति रिपोर्ट तैयार करना एवं साधारण सभा के समक्ष अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
11(3)26	कोई प्रावधान नहीं।	फैडरेशन के संचालक मण्डल के निर्वाचन का संचालन करने के लिए विद्यमान समिति की अवधि समाप्ति के छः माह पूर्व ऐसी रीति से, जो विहित की जावे, लिखित सूचना निर्वाचन प्राधिकारी को भेजना तथा साथ ही किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात भी लिखित सूचना भेजना।
14	कोई प्रावधान नहीं।	वार्षिक विवरण पत्र फैडरेशन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियों फाईल करेगा– 1. अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट, 2. अपने लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण, 3. अधिशेष के व्ययन के लिए योजना जो सोसाइटी के साधारण निकाय के द्वारा अनुमोदित हो, 4. सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हो की सूची, 6. साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे में घोषणा और, ऐसी अन्य सूचना जिसकी रजिस्ट्रार समय समय पर अपेक्षा करे।